

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 51/2021

दायर दिनांक-28.07.2021

1. मोहनलाल पुत्र बोदूराम पौत्र मोहरुराम जाति अहीर निवासी खैसवा की ढाणी तन परसरामपुरा
तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-वादी

1. मामचंद पुत्र बोदूराम
2. राजेश पुत्र बोदूराम
3. संतरा पुत्री बोदूराम
4. प्रेम पुत्री बोदूराम
5. बिमला पुत्री बोदूराम
6. महावीर पुत्र मूलाराम
7. परमेश्वर पुत्र मूलाराम
8. संतोष पुत्री मूलाराम
9. सावित्री पुत्री मूलाराम
10. मोहनी पुत्री मूलाराम
11. सोनी देवी पत्नी मूलाराम
12. विजेन्द्र पुत्र बंशीधर
13. कृष्ण कुमार पुत्र बंशीधर
14. सरोज पुत्री बंशीधर नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सज्जना देवी पत्नी बंशीधर
15. सज्जना देवी पत्नी बंशीधर
16. पालाराम पुत्र नाराणा
17. बिड़दूराम पुत्र नाराणा
18. धर्मपाल पुत्र श्योपाल
19. भंवरलाल पुत्र श्योपाल
20. सुनील पुत्री श्योपाल
21. मंजू पुत्री श्योपाल
22. सुनिता पुत्री श्योपाल
23. मुकेश देवी पुत्री श्योपाल
24. कमला देवी पत्नी श्योपाल
25. जगदीश पुत्र लछाराम
26. ताराचंद पुत्र लछाराम
27. बनावारी पुत्र लछाराम
28. कैलाश पुत्र लछाराम
29. सज्जना देवी पुत्री लछाराम
30. श्याना देवी पुत्री लछाराम
31. गोकल देवी पुत्री लछाराम
32. हीराराम पुत्र जालू
33. भगवानी पत्नी जालू
34. महावीर पुत्र रामकरण
35. शिशपाल पुत्र झूथा
36. पोकर पुत्र झूथा
37. ताराचंद पुत्र नानूराम
38. रामलाल पुत्र नानूराम
39. गोपी पुत्र नानुराम
40. कैलाश पुत्र नानुराम
41. बिदामी पुत्री नानुराम



ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

- 31
42. सरबती पुत्री नानुराम
 43. मेगाराम पुत्र मूगाराम
 44. बनवारी पुत्र कानाराम
 45. नौरग पुत्र कानाराम
 46. पप्पू पुत्र कानाराम
 47. धुडाराम पुत्र कानाराम
 48. भंवरी देवी पुत्री कानाराम
 49. सुलोचना देवी पुत्री कानाराम
 50. सज्जना देवी पुत्री कानाराम
 51. रामकोरी देवी पुत्री कानाराम
 52. जमना देवी पत्नी कानाराम
 53. महेश पुत्र गोमाराम
 54. रणवीर पुत्र गोमाराम
 55. कमला पुत्री गोमाराम
 56. परमेश्वरी पत्नी गोमाराम
 57. मंगलचंद पुत्र चिमनाराम
 58. श्रीचंद पुत्र बोदूराम
 59. कमला पुत्री बोदूराम
 60. मखनी देवी पुत्री बोदूराम
 61. श्याना देवी पुत्र बोदूराम
 62. मनोहरी देवी पुत्री बोदूराम
 63. ग्यारसी पत्नी बोदूराम
 64. प्रकाश पुत्र मदनलाल
 65. टिलू पुत्र मदनलाल
 66. ललिता पुत्री मदनलाल
 67. सुनिता पुत्री मदनलाल
 68. कविता पुत्री मदनलाल
 69. पप्पू देवी पत्नी मदनलाल
 70. पालाराम पुत्र जमना उर्फ जगवंता
 71. प्रभात पुत्र जमना उर्फ जगवंता
 72. इन्द्राज पुत्र जमना उर्फ जगवंता समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम खैसवा की ढाणी तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
 73. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादी

वकील वादी : - श्री अशोक कुमार जांगिड़

वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत : इश्तकार हक व
रिकॉर्ड दुरुस्ती

--:: निर्णय ::--

दिनांक-10.02.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम खैसवा की ढाणी तन परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 267, 268, 269, 271, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 रकबा क्रमशः 0.80, 0.22, 0.13, 0.06, 0.37, 0.02, 0.11, 0.84, 0.20, 0.37, 0.10 है0 कुल कितना 11 कुल रकबा 3.22 है0 में वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 को हिस्सा 0.2683 है0 का तथा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 0.0383-0.0383 है0 का तथा प्रतिवादी नं0 12 लगायत 15 को हिस्सा 0.0383 है0 का तथा प्रतिवादी नं0 16 को 0.1341 है0, प्रतिवादी नं0 17 को हिस्सा 0.1341 है0 का, प्रतिवादी नं0 18 लगायत 24 को हिस्सा 0.1341 है0 का तथा प्रतिवादी नं0 25 लगायत 31 को हिस्सा 0.2741 है0 का,



32
प्रतिवादी नं० 32 व 33 को 0.3966 है० का, प्रतिवादी नं० 34 को हिस्सा 0.3220 है० का, प्रतिवादी नं० 35 व 36 को 0.5366 है० का, प्रतिवादी नं० 43 को 0.3220 है० का प्रतिवादी नं० 44 लगायत 52 को हिस्सा 0.1073 है० का प्रतिवादी नं० 58 लगायत 63 को हिस्सा 0.0644 है० का, प्रतिवादी नं० 64 लगायत 69 को हिस्सा 0.0644 है० का तथा प्रतिवादी नं० 70 लगायत 72 प्रत्येक को 0.0644 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृत खातेदार बक्सी पत्नी जगवन्ता, बोदूराम पुत्र मोहरू, मदन पुत्र जगवन्ता, मूलाराम पुत्र मोहरूराम, लच्छाराम पुत्र नाराणा, लाडो देवी पत्नी झुंथा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उनके वारिसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

वादी द्वारा वाद-पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 06, 08 लगायत 10, 34, 44 लगायत 52, 57, 70 की ओर से वकील श्री महेश वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 06, 08 लगायत 10, 34, 44 लगायत 52, 57, 70 की ओर से जवाब नहीं पेश करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु बनवारी पुत्र लछाराम, जगदीश पुत्र लछाराम, मोहन पुत्र बोदूराम के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रैस, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075-78, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी सम्वत् 2063-66, 2059-62, 2048-51, 2052-55, 2021-24, 2025-28, नकल जमाबंदी सम्वत् 2044, नकल जमाबंदी सम्वत् 2021-24, 2025-28 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस में वाद-पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि खैसवा की ढाणी तन् परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 267, 268, 269, 271, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 रकबा क्रमशः 0.80, 0.22, 0.13, 0.06, 0.37, 0.02, 0.11, 0.84, 0.20, 0.37, 0.10 है० कुल किता 11 कुल रकबा 3.22 है० भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से गलत रूप से दर्ज चले आ रहे हैं जिसे दुरुस्त किया जाना तथा मृतक खातेदारों का नाम हजफ किया जाकर उनके वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खैसवा की ढाणी तन् परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 267, 268, 269, 271, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 रकबा क्रमशः 0.80, 0.22, 0.13, 0.06, 0.37, 0.02, 0.11, 0.84, 0.20, 0.37, 0.10 है० कुल किता 11 कुल रकबा 3.22 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी नं० 1 लगायत 5 को हिस्सा 0.2683 है० का, प्रतिवादी नं० 6 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 0.0383-0.0383 है० का, प्रतिवादी नं० 12 लगायत 15 को हिस्सा 0.0383 है० का, प्रतिवादी नं० 16 को 0.1341 है०, प्रतिवादी नं० 17 को हिस्सा 0.1341 है० का, प्रतिवादी नं० 18 लगायत 24 को हिस्सा 0.1341 है० का, प्रतिवादी नं० 25 लगायत 31 को हिस्सा 0.2741 है० का, प्रतिवादी नं० 32 व 33 को 0.3966 है० का, प्रतिवादी नं० 34 को हिस्सा 0.3220 है० का, प्रतिवादी नं० 35 व 36 को 0.5366 है० का, प्रतिवादी नं० 43 को 0.3220 है० का, प्रतिवादी नं० 44 लगायत 52 को हिस्सा 0.1073 है० का, प्रतिवादी नं० 58 लगायत 63 को हिस्सा 0.0644 है० का, प्रतिवादी नं० 64 लगायत 69 को हिस्सा 0.0644 है० का, तथा प्रतिवादी नं० 70 लगायत 72 प्रत्येक को 0.0644 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृत खातेदार बक्सी पत्नी जगवन्ता, बोदू पुत्र जगवन्ता, बोदूराम पुत्र मोहरू, मदन पुत्र जगवन्ता, मूलाराम पुत्र मोहरूराम, लच्छाराम पुत्र नाराणा, लाडो देवी पत्नी झुंथा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है तथा इनके वारिसानों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिफ्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फाईल नं०) नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : इश्तकरार हक व रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा सं०:- 51/2021

(मोहनलाल बनाम मामचंद आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 10.02.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खैसवा की ढाणी तन् परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 267, 268, 269, 271, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 रकबा क्रमशः 0.80, 0.22, 0.13, 0.06, 0.37, 0.02, 0.11, 0.84, 0.20, 0.37, 0.10 है० कुल किता 11 कुल रकबा 3.22 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी नं० 1 लगायत 5 को हिस्सा 0.2683 है० का, प्रतिवादी नं० 6 लगायत 11 प्रत्येक को हिस्सा 0.0383-0.0383 है० का, प्रतिवादी नं० 12 लगायत 15 को हिस्सा 0.0383 है० का, प्रतिवादी नं० 16 को 0.1341 है०, प्रतिवादी नं० 17 को हिस्सा 0.1341 है० का, प्रतिवादी नं० 18 लगायत 24 को हिस्सा 0.1341 है० का, प्रतिवादी नं० 25 लगायत 31 को हिस्सा 0.2741 है० का, प्रतिवादी नं० 32 व 33 को 0.3966 है० का, प्रतिवादी नं० 34 को हिस्सा 0.3220 है० का, प्रतिवादी नं० 35 व 36 को 0.5366 है० का, प्रतिवादी नं० 43 को 0.3220 है० का, प्रतिवादी नं० 44 लगायत 52 को हिस्सा 0.1073 है० का, प्रतिवादी नं० 58 लगायत 63 को हिस्सा 0.0644 है० का, प्रतिवादी नं० 64 लगायत 69 को हिस्सा 0.0644 है० का, तथा प्रतिवादी नं० 70 लगायत 72 प्रत्येक को 0.0644 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृत खातेदार बक्सी पत्नी जगवंता, बोदू पुत्र जगवन्ता, बोदूराम पुत्र मोहरू, मदन पुत्र जगवन्ता, मूलाराम पुत्र मोहरूराम, लच्छाराम पुत्र नाराणा, लाडो देवी पत्नी झुंथा का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है तथा इनके वारिसानों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.02.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

ड. पी. डे. (फा. ड.)

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00